उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-139/2018/1506/71-1-2018-का-132/2017
लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, कानपुर के ब्लड बैंक में दिनांक 04.09.2017 (रात्रि लगभग 1.00 बजे) को हुए विवाद में डा0 योगेन्द्र नारायण वर्मा को थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया तथा सेशन जज, कानपुर नगर के समक्ष योजित बेल एप्लीकेशन संख्या-2354/2017 में पारित आदेश दिनांक 11-09-2017 के द्वारा डा0 योगेन्द्र वर्मा को जमानत के उपरानत रिहा कर दिया गया। डा0 योगेन्द्र नाराण वर्मा, जिला कारागार, कानपुर में 48 घंटे से अधिक की अवधि तक निरूद्ध रहे। उक्त के क्रम में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3139/71-1-17 -का0-132/2017 दिनांक 28.03.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 (3)(क) में वर्णित प्राविधानो के अनुसार डा0 योगेन्द्र वर्मा को जिला कारागार, कानपुर में निरूद्ध होने की तिथि दिनांक 05.09.2017 से निलम्बित कर दिया गया तथा निलम्बन अवधि के दौरान डा0 योगेन्द्र वर्मा को महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बद्ध कर दिया गया।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2017/2969 दिनांक 26.12.2017 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय रोगीहित एवं छात्रहित में डा0 योगेन्द्र नारायण वर्मा, प्रवक्ता, (निलम्बित) पैथालॉजी, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर को मा0 न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन निलम्बनमुक्त करते हुए सेवा में बहाल किये जाने की स्वीकृति एत्ददद्वारा प्रदान करते है। निलम्बन अवधि के जीवन निर्वाह भत्तें को छोड़कर देय अन्य अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में डा0योगेन्द्र नारायण वर्मा द्वारा प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या- 139/2018/1506(1)/71-1-18 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वित्त नियन्त्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. डा0 योगेन्द्र नारायण वर्मा, प्रवक्ता, पैथॉलाजी विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in